



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 984/2021

पांकू कश्यप पिता श्री हरिराम कश्यप 19 वर्ष निवासी गाँव अदीसालनार, पुलिस थाना भानपुरी, जिला बस्तर,
छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु:--श्री आर. एस. पटेल, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु:--श्री हरिओम राय, पैनल अधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 1021/2021

मनोज @कंवल बघेल पिता सुखरु राम बघेल , 21 वर्ष ,निवासी खासपारा देवड़ा पी. पिता भानपुरी जिला
बस्तर (छत्तीसगढ़), जिला:बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य , पुलिस थाना के द्वारा, कोंडागांव जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :--श्री प्रवीण कुमार तुलस्यान, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु : --श्री हरिओम राय, पैनल अधिवक्ता

दाण्डिक अपील सं 1085/2021



पिंकू कश्यप पिता बोध कश्यप 25 वर्ष निवासी गाँव ओगयगुडा, पुलिस थाना भानपुरी, जिला बस्तर
छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना के द्वारा, कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

अपीलार्थी हेतु :श्री तारेंद्र कुमार झा, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :श्री हरिओम राय, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

11.06.2025

1. चूंकि उपरोक्त तीन दाण्डिक अपीलें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोंडागांव, जिला-
कोंडागांव (छ.ग.) द्वारा पोक्सो प्रकरण संख्या 15/2019 और समेकित प्रकरण संख्या 31/2019 में पारित
दिनांक 25.08.2021 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं, इसलिए उन्हें एक साथ सुना गया और
इस सामान्य निर्णय द्वारा निराकरण किया जा रहा है।

2. अपीलकर्ता- पंकू कश्यप (ए1), मनोज उर्फ कंवल बघेल (ए2) और पिंकू कश्यप (ए3) ने दं. प्र. सं. की
धारा 374 के तहत ये तीन दाण्डिक अपीलें दायर की हैं, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी)
कोंडागांव, जिला- कोंडागांव (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 25.08.2021 के आक्षेपित निर्णय पर प्रश्न उठाया
गया है, जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध के
लिए दोषी ठहराया है तथा 20 वर्ष का साधारण कारावास और 5000/- रुपये के जुर्माने का दंड पारित
किया गया है, जुर्माना अदा न करने पर 3 वर्ष (प्रत्येक) का साधारण कारावास का दंड पारित किया गया है।



3. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि पीड़िता 27/04/2019 को थाने में उपस्थित हुई और रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26/04/2019 को रेखा मौर्य का विवाह उसके गांव माकड़ी में हो रही थी जिसमें बाराती गांव बड़ेमबाल से आए थे। उसी दिन रात करीब 11:00 बजे वह और उसकी सहेली गायत्री नाग मैरिज हॉल में भीड़ होने के कारण शौच के लिए खेत में गई थीं। वह और उसकी सहेली थोड़ी दूर पर ही थीं कि 4 लड़कों ने पीड़िता का मुंह बंद कर दिया और उसे खेत से आगे एक खेत में खींचकर ले गए और उसके साथ जबरन गलत काम (शारीरिक संबंध) किया और जान से मारने की धमकी दी। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में उसने लड़कों के चेहरे देखे, फिर अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। पीड़िता अपने परिजनों और ग्रामीणों के साथ ग्राम आमाबाल गई और उन लोगों की पहचान की, जिन्होंने अपना नाम पंकू कश्यप, पंकू कश्यप, मनोज उर्फ कंवल बघेल बताया गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर अभियुक्त पंकू कश्यप, मनोज उर्फ कंवल बघेल और विधि से संघर्षरत बालक पंकू कश्यप के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 376 (डी), 506 और धारा 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारम्भ कर दिया गया है।

4. अन्वेषण के दौरान, पीड़िता और उसके पिता की सहमति से, प्र.पी-02 के अनुसार उसके गुप्तांगों की परीक्षण के लिए, पीड़िता को परीक्षा के लिए जिला अस्पताल, कोंडागांव भेजा गया। पीड़िता (प्र.पी-20) के उपचार के लिए जिला अस्पताल कोंडागांव को परिवाद भेजी गई। 27/04/2019 को 15.10 बजे, घटना के समय पीड़िता द्वारा पहनी गई भूरे रंग की पैंटी और उसकी कक्षा 6 वीं की अंकतालिका (प्र.पी-03) कोंडागांव के पुलिस थाना परिसर में प्रस्तुत की गई और साक्षियों के समक्ष जब्ती पत्र (प्र.पी-04) तैयार किया गया था। उसी दिन, 20 मई को, पीड़िता से जब्त भूरे रंग की पैंटी को चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, कोंडागांव को भेजा गया और यह पूछताछ करने के लिए कहा गया कि जब्त पैंटी पर मानव वीर्य था या नहीं। इस संबंध में लिखित परिवाद किया गया था। इसके अलावा, 27/04/2019 को 18.00 बजे महिला आरक्षक क्रमांक 722 बसंती नेताम ने पुलिस थाना परिसर, कोंडागांव में डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए सात सीलबंद पैकेट प्रस्तुत किए। उन्होंने उन्हें साक्षियों के सामने जब्त किया और जब्ती पत्र (प्र.पी-21) तैयार किया। 27/04/2019 को अभियुक्त पंकू कश्यप को अभिरक्षा में लेने के बाद, अभियुक्त ने घटना के समय पहने हुए अंडरवियर को प्रस्तुत किया, जिसे पुलिस थाना परिसर, कोंडागांव में साक्षियों के सामने 19.45 बजे जब्त किया गया और जब्ती पत्र प्र.पी-22 तैयार किया गया। दिनांक 27/04/2019 को अभियुक्त मनोज उर्फ कंवल बघेल को अभिरक्षा में लेने के बाद, अभियुक्त ने घटना के समय पहने हुए अंडरवियर को पेश किया, जिसे उसने 20.05 बजे पुलिस थाना परिसर, कोंडागांव में साक्षियों के सामने जब्त किया और जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी-23) तैयार किया। दिनांक 27/04/2019 को अभियुक्त पंकू कश्यप को अभिरक्षा में लेकर अभियुक्त द्वारा घटना के समय पहने हुए अंडरवियर को प्रस्तुत किया गया, जिसे 19.30 बजे पुलिस थाना परिसर, कोंडागांव में साक्षियों के समक्ष जब्त किया गया था। सामग्री जब्त करने के बाद जब्ती ज्ञापन प्र.पी-24 तैयार किया गया था।



5. तत्पश्चात दिनांक 27/04/2019 को अभियुक्त पंकू कश्यप को अभिरक्षा में लेकर यौन संबंध बनाने की उसकी क्षमता के संबंध में जिला अस्पताल कोंडागांव भेजा गया, जिसके संबंध में एक लिखित परिवाद तैयार किया गया था। दिनांक 27/04/2019 को अभियुक्त मनोज उर्फ कंवल बघेल को अभिरक्षा में लेकर यौन संबंध बनाने की उसकी क्षमता के संबंध में जिला अस्पताल कोंडागांव भेज दिया गया। दिनांक 27/04/2019 को अभियुक्त पंकू कश्यप को अभिरक्षा में लेकर यौन संबंध बनाने की उसकी क्षमता के संबंध में जिला अस्पताल कोंडागांव भेज दिया गया। तत्पश्चात, अभियुक्तगण से जब्त अंडरवियर को जिला अस्पताल कोंडागांव भेजा गया तथा यह पता लगाने के लिए पूछताछ की गई कि जब्त अंडरवियर में मानव वीर्य मौजूद है या नहीं।

6. दिनांक 28/04/2019 को दोपहर 1.15 बजे, आरक्षक क्रमांक 457 गिरजाशंकर कुर्रे द्वारा अभियुक्तगण के जननांगों की जांच करने के बाद, चार सीलबंद पैकेट तैयार किए गए और साक्षियों के सामने जब्त किए गए और जब्ती पत्र (एक्स.पी-25, 26 और 27) तैयार किया गया। 28/04/2019 को प्रातः 2.00 बजे, अभियुक्त पंकू कश्यप को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी पंचनामा (प्रत्यक्ष पी-28) तैयार किया गया, गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार को दी गई, सूचना की पावती प्रत्यक्ष पी-29 है। दिनांक 28/04/2019 की रात्रि 2.15 बजे अभियुक्त पंकू कश्यप को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा (प्र.पी-30) तैयार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार को दी गई, सूचना की पावती प्र.पी-31 है। दिनांक 28/04/2019 को प्रातः 2.30 बजे अभियुक्त मनोज उर्फ कंवल बघेल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा (प्र.पी-32) तैयार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार को सूचना की पावती प्र.पी-33 के रूप में दी गई। दिनांक 02/05/2019 को प्रातः 8.45 बजे अन्वेषण अधिकारी ने ग्राम माकड़ी जाकर पीड़िता के निर्देशानुसार घटनास्थल का स्थल मानचित्र (प्र.पी.-05) तैयार किया। दिनांक 02/05/2019 को उन्होंने हल्का पटवारी से घटनास्थल का स्थल मानचित्र उपलब्ध कराने के संबंध में तहसीलदार साहब कोंडागांव को परिवाद पत्र लिखा, जिसकी पावती प्र.पी.-34 है। दिनांक 02/05/2019 को 13.00 बजे, पीड़िता का परीक्षण कन्या आश्रम मोहलाई की अधीक्षक श्रीमती सकुन बघेल द्वारा किया गया। जन्मतिथि के संबंध में, जब बालिका आश्रम मोहलाई में नामांतरण रजिस्टर (प्रमाणपत्र-15) प्रस्तुत किया गया, तो उसे साक्षियों के समक्ष जब्त कर लिया गया और जब्ती ज्ञापन (प्रमाणपत्र-16) तैयार किया गया। उन्होंने एक्स. पी. 15 की सत्यापित प्रति को एक्स. पी. 15 सी के रूप में लिया और मूल प्रति को समर्पण ज्ञापन में वापस कर दिया। समर्पण ज्ञापन एक्स. पी.-17 है।

7. तत्पश्चात दिनांक 06/06/2019 को प्रातः 11.30 बजे, जब ग्राम माकड़ी के लालमन मौर्य ने रेखा उर्फ जना और लोकनाथ (प्रत्यक्ष पी-18) का विवाह निमंत्रण पत्र प्रस्तुत किया, तो उसे साक्षियों के समक्ष जब्त कर लिया गया और जब्ती ज्ञापन (प्रत्यक्ष पी-19) तैयार किया गया था। दिनांक 12/06/2019 को अपराह्न 14.00 बजे, जब कोण्डागांव के पुलिस थाना परिसर में भदुरराम कश्यप ने अभियुक्त पंकुराम (प्रत्यक्ष पी-35) की जन्मतिथि संबंधी अंकसूची-सह-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, तो उसे साक्षियों के समक्ष जब्त कर लिया



गया और जब्ती ज्ञापन (प्रत्यक्ष पी-36) तैयार किया गया। इस मामले में जब्त संपत्तियों को पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जगदलपुर भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक का ज्ञापन (प्र.पी-37), प्रयोगशाला की प्रदर्श रसीद (प्र.पी-38), प्रयोगशाला की प्रदर्श वापसी रसीद (प्र.पी-39) तथा प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी-40) है।

8. अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र क्रमांक 86/2019 दिनांक 17/06/2019 तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चूंकि घटना के समय अभियुक्त पंकू कश्यप नाबालिग था, अतः किशोर न्यायालय कोण्डागांव में पृथक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जो वयस्क के रूप में विचारणीय पाया गया तथा जब विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु भेजा गया, तो संज्ञान लिया गया तथा विचारण किया गया।

9. अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 साक्षियों से परीक्षा किया गया। अपीलकर्ताओं के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध पेश की गई सामग्री से इनकार किया और कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और उन्हें निर्णय के कंडिका 2 में उल्लिखित अनुसार दंड पारित किया गया है। अतः, ये अपीलें प्रस्तुत किया गया है।

10. सीआर संख्या 984/2021 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एस. पटेल ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने तथा दंड पारित करने में त्रुटि की है क्योंकि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना के समय अपीलकर्ता नाबालिग था, इसके बावजूद उसे 20 वर्ष का कारावास दिया गया है जो कि अधिक है और उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल अभियोजन पक्ष के बयान के आधार पर दोषसिद्धि का आदेश पारित किया तथा वर्तमान मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोक्ता का बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि घटना अंधेरे में और भीड़-भाड़ वाली जगह पर हुई थी, इसलिए वह अपराध के वास्तविक अपराधियों की पहचान नहीं कर सकती थी। अभियोक्ता ने स्वयं अपने बयान के कंडिका 7 और 8 में कहा है कि पुलिस अधिकारियों ने उसे अभियुक्तगण के नाम बताए थे। पुलिस अधिकारियों द्वारा उसे यह जानकारी दिए जाने से पहले उसे अभियुक्तगण के नाम नहीं जानती थी। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के नाम जानने के बाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई। यह बयान प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) में वर्णित घटना के विरोधाभासी है, जिसमें उसने कहा है कि ग्रामीणों ने अभियुक्तगण को बुलाया था और उनसे उनके नाम पूछे थे। अभियोक्ता (पी.डब्लू-2) और उसकी मित्र गायत्री नाग (पी.डब्लू-4) के कथन विरोधाभासों, अंतर्वेशनों, परिवर्धनों और चूकों से भरी है। ऐसी विसंगतियाँ इस तथ्य का प्रत्यक्ष परिणाम हैं कि पुलिस अधिकारियों द्वारा बाद में दी गई जानकारी के कारण गवाही बाद में सोची-समझी और पुष्टिकरण पूर्वाग्रह से दूषित हो गई है। गायत्री नाग (पी.डब्लू. 4) ने स्वयं कहा है कि पुलिस ने घटना दिनांक से डेढ़ महीने बाद दंड



प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के तहत उनका बयान दर्ज किया। इतने समय अंतराल के बीच, ग्रामीणों द्वारा अभियुक्तों को कथित कृत्य का दोषी ठहराया जा चुका था। इसलिए, अभियुक्तों को प्रताड़ित करने के लिए गवाही और बयानों में अत्यधिक हेरफेर किया गया है। अंत में, अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान जमानत पर था क्योंकि इस न्यायालय द्वारा सीआरआर संख्या 874/2019 (पंकू कश्यप बनाम छत्तीसगढ़ राज्य) में दिनांक 20.08.2019 के आदेश द्वारा जमानत प्रदान की गई थी। अपीलकर्ता ने लगभग 4 महीने जेल में बिताए हैं, फिर दोषसिद्धि के बाद उसे 25.08.2021 को फिर से जेल भेज दिया गया और तब से वह जेल में है। अपीलकर्ता विचारण के दौरान जमानत पर था और उसने कभी भी जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया। अंत में, विद्वान विचारण न्यायालय यह विचार करने में विफल रही है कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान अपीलकर्ता के विरुद्ध उपरोक्त अपराध नहीं बनते हैं।

11. सीआरए संख्या 1021/2021 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार तुलस्यान ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिपोर्ट काफी विलंब के बाद दर्ज की गई है और विलंब का कारण संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के विरुद्ध मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। दोषसिद्धि साक्षी की अपुष्ट कथन पर आधारित है। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है और दोषसिद्धि का निर्णय पारित करते समय गलत निष्कर्ष पर पहुँची है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने स्वीकार किया है कि उसके साथ किसी ने बलात्कार नहीं किया है, केवल एक अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया है। अभियोक्ता की आयु सिद्ध करने के लिए पुलिस द्वारा केवल स्कूल रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई जन्म प्रमाण पत्र या रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट नहीं ली गई है। अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता संभोग करने में सक्षम है या नहीं, क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता की कोई चिकित्सीय जाँच नहीं की गई है। चिकित्सा परीक्षण में, चिकित्सकों को अभियोक्ता के कपड़े पर कोई शुक्राणु नहीं मिला है। अभियोजन पक्ष ने सभी स्वतंत्र साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्ता के शरीर और उसके गुप्तांग पर कोई चोट नहीं है जिससे यह स्थापित हो सके कि कोई घटना घटी है।

12. सीआरए संख्या 1085/2021 में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री तारेन्द्र कुमार झा ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 25-08-2021 का आक्षेपित निर्णय मामले के कानून, तथ्यों और परिस्थितियों के विपरीत है, इसलिए यह अपास्त किये जाने योग्य है। अभियोक्ता के शरीर में, डॉक्टर को कोई बाहरी चोट नहीं मिली है, जो क्षेत्र में घसीटने के आरोप को गलत साबित करती है। अभियोजन पक्ष ने सक्षम प्राधिकारी की उपस्थिति में कोई पहचान परेड नहीं की है और इस कारण से अभियुक्तों की संलिप्तता उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष के बयान में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि घटना के समय अभियुक्तों ने उसका मुँह बंद कर दिया था, कथित घटना विवाह स्थल से केवल 60 मीटर की दूरी पर हुई थी, जो विश्वसनीय नहीं है।



अभियोजन पक्ष यह भी साबित करने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष की आयु 18 वर्ष से कम थी, इसलिए पोक्सो अधिनियम के तहत दोषसिद्धि अस्वीकार्य है। विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय से यह तथ्य उजागर होता है कि उसने अपीलकर्ता द्वारा अपराध में शामिल न होने के तथ्यों की पुष्टि करने वाले अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर ठीक से विचार नहीं किया है। अभिलेख के अनुसार, मामले के साक्ष्य पर विचार न करने के आधार पर अपीलकर्ता के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया था।

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि घटना के समय अभियोक्ता की आयु 16 वर्ष से कम थी और यह बात प्रलेख पी-15 सी अर्थात् स्कूल प्रवेश रजिस्टर से पुष्ट होती है जिसमें अभियोक्ता की जन्मतिथि 06.07.2006 अंकित है जिससे यह स्पष्ट होता है कि घटना की तिथि अर्थात् 26/04/2019 को अभियोक्ता की आयु 16 वर्ष से कम है। इस प्रकार, यह अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अखंडित साक्ष्य है। अतः, अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सही रूप से दोषी ठहराया गया है और दोषसिद्धि का निर्णय विधि की दृष्टि में न्यायसंगत और उचित है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए अपीलकर्ता/अभियुक्त इस न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने 12 साक्षियों अर्थात् अभियोजन पक्ष की मां (पीडब्लू-1), अभियोजन पक्ष (पीडब्लू-2), अभियोजन पक्ष के पिता (पीडब्लू-3), गायत्री नाग (पीडब्लू-4), शुरुराम नाग (पीडब्लू-5), चितुराम मौर्य (पीडब्लू-6), डॉ. ओम प्रकाश नाग (पीडब्लू-7), डॉ. ममता ठाकुर (पीडब्लू-8), शकुन बघेल (पीडब्लू-9), लालमन मौर्य (पीडब्लू-10), आईओ अर्चना धुरंधर (पीडब्लू-11), गोमती बघेल (पीडब्लू-12) और अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर उचित रूप से विचार किया है, जिससे एकमात्र निष्कर्ष यह निकलता है कि, अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने उनके खिलाफ पूर्वोक्त आरोपों के अनुसार अपराध किया है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, जैसे अभियोक्ता के साथ बहुत क्रूर तरीके से सामूहिक बलात्कार करना, जो मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है, और इस कारण से, सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं को जमानत पर नहीं छोड़ा गया और गिरफ्तारी के बाद से अपीलकर्ता जेल अभिरक्षा में रहे थे। उत्तरवादी/राज्य ने आगे तर्क दिया है कि निर्णय के कंडिका 42 में, विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त अपराध में अभियुक्त/अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में अपनी टिप्पणी पूरी कर ली है जो न्यायसंगत और उचित है तथा बचाव पक्ष ने विचारण की कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए गए किसी भी निष्कर्ष या साक्ष्य का खंडन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अपराध की गंभीरता को देखते हुए, अपीलकर्ता इस न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की सहानुभूति के हकदार नहीं हैं। अतः, उपर्युक्त प्रस्तुतियों के आलोक में, अपीलकर्ताओं की अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं क्योंकि वे अस्पष्ट, निराधार और गुण-दोष से रहित हैं और तदनुसार खारिज किए जाने योग्य हैं।



14. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2018 के हिमांशु उर्फ शम्मी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के निर्णय का भी उल्लेख दिया है, जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निंदा की:--

"बाल बलात्कार के मामले यौन लालसा के विकृत मामले हैं जहाँ यौन सुख की तलाश में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। इससे अधिक घृणित कुछ नहीं हो सकता है। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। ऐसे कई मामले सामाजिक कलंक के कारण प्रकाश में भी नहीं आ पाते हैं। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार, बाल बलात्कार के मामलों में भारी वृद्धि हुई है। बच्चों को विशेष देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में, न्यायालय के कंधों पर इन बच्चों को उचित कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा भारी हो जाती है। उनकी शारीरिक और मानसिक अगतिशीलता ऐसी सुरक्षा की माँग करती है। बच्चे हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन हैं। वे देश का भविष्य हैं। कल की आशा उन पर टिकी है। हमारे देश में, बालिकाएँ अत्यंत असुरक्षित स्थिति में हैं और उनके शोषण के अन्य तरीकों के अलावा, बलात्कार भी उनके शोषण का एक तरीका है। ये कारक एक अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं।"

15. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

16. इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय पहला प्रश्न यह है कि क्या पीड़िता घटना की तिथि पर बालिका थी।

17. अभियोक्ता की आयु पर विचार करने के लिए, उसके पिता (अभि.सा.-3) ने अपने न्यायिक कथन में बताया है कि उसकी पीड़िता पुत्री की वर्तमान आयु 13 वर्ष है। अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता की आयु सिद्ध करने के लिए, वर्ग I के मूल दाखिल खारिज की सत्य प्रतिलिपि (प्र.सा.-15 सी) प्रस्तुत की गई है। साक्षी शकुन बघेल (अभि.सा.-9), शासकीय कन्या आश्रम मोहलाई की अधीक्षिका का कहना है कि वह वर्ष 2012 से शासकीय कन्या आश्रम मोहलाई में आश्रम अधीक्षिका के पद पर पदस्थ हैं। शासकीय जिला प्राथमिक विद्यालय मोहलाई का दाखिल खारिज रजिस्टर उनके पास मौजूद है। वह उक्त विद्यालय/आश्रम के दाखिल खारिज रजिस्टर के साथ उपस्थित हुई है। पुलिस ने पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में प्राथमिक कन्या आश्रम मोहलाई का मूल दाखिल खारिज रजिस्टर मांगा था। पुलिस के मांगने पर उसने मूल दाखिल खारिज रजिस्टर (प्रमाण पत्र-15) दिया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और जब्ती ज्ञापन (प्रमाण पत्र-16) तैयार किया। भाग 'ए' से 'ए' तक पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मूल दाखिल खारिज रजिस्टर प्रदर्श पी-15 की सत्यापित प्रति (प्रदर्श पी-15 सी) ली थी, जिसके भाग ए से ए तक पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. मूल दाखिल खारिज रजिस्टर के अनुसार, पीड़िता का नाम दाखिल खारिज में क्रम संख्या 45 पर दर्ज है। जिसके अनुसार, उसकी जन्मतिथि 06/07/2006 दर्ज है। उसने 01/07/2012 को कक्षा एक में प्रवेश लिया था। प्रवेश के समय पीड़िता के पिता घस्सूराम उसे लेकर आए थे। उनके निर्देशानुसार उन्होंने दाखिल खारिज रजिस्टर (प्रत्यक्ष पी-15) में उसकी जन्मतिथि दर्ज कर ली है। अभियोजन पक्ष के दोनों साक्षियों ने अभियोक्ता की जन्मतिथि की पुष्टि की है और बताया है कि उसकी जन्मतिथि 06/07/2006 थी, जिसका



बचाव पक्ष ने जिरह के दौरान खंडन नहीं किया है और मौलिक विचलन का तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष साबित नहीं हुआ है। पीड़िता के पिता ने उसकी आयु 13 वर्ष बताई है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पीड़िता की अंकतालिका में उल्लिखित जन्मतिथि, अर्थात् 06/07/2006, के करीब है। पीड़िता और उसके पिता ने बताया है कि पीड़िता की आयु 13 वर्ष है और इसके विपरीत बचाव पक्ष ने पीड़िता और उसके पिता के इस कथन का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक थी।

19. ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि घटना के समय पीड़िता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक थी। परिणामस्वरूप, यह निर्धारित किया जाता है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी, उसकी आयु 13 वर्ष थी, जो कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत आता है। बच्चा परिभाषित "बालक" की श्रेणी में आता है। अतः, पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत अपराध के अनिवार्य घटक अभियुक्त के विरुद्ध आकर्षित होते हैं।

20. अब इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्तों ने 26/04/2019 को रात्रि लगभग 11:30 बजे, उक्त तिथि, समय और घटना स्थल पर 18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ बारी-बारी से बलात्कार करके गंभीर प्रवेशन यौन हमला किया था?

21. इस संबंध में पीड़िता (पीडब्लू-2) ने अपने न्यायिक परीक्षण में बताया है कि वह अभियुक्त पंकू कश्यप और मनोज उर्फ कवल को जानती है। वह कक्षा आठवीं में पढ़ती है। घटना दिनांक 26/04/2019 को ग्राम मकड़ी में घटित हुई। घटना दिनांक को उसकी मौसी के घर में विवाह समारोह चल रहा था, रात्रि लगभग 9-10 बजे वह और उसकी सहेली गायत्री विवाह वाले घर से थोड़ी दूरी पर स्थित खेत में शौच के लिए गई थीं। वे उस समय बाथरूम का उपयोग करने के लिए खड़े थे, 11-12 लड़कों ने आकर उन्हें घेर लिया, उनमें से चार ने उसे पकड़ लिया, आरोपियों के नाम उसे बाद में पता चले पंकू, पिकू, मनोज और दो लड़कों ने उसकी दोस्त को पकड़ लिया और उसे उठाकर अलग-अलग दिशा में ले गए और उसे जमीन पर लेटा दिया और उसके कपड़े उतार दिए, उसके बाद उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर पर बैठ गया और एक लड़के ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। इसके बाद एक लड़का उसके पास आया और उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद दो और लड़कों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद वे वहाँ से भाग गए।

22. पीड़िता (पीडब्लू-2) ने अपनी मुख्य परीक्षा में आगे बताया है कि इसके बाद वह अपने घर गई और अपनी माँ को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, उसकी माँ ने ग्राम प्रधान लखमू और अन्य लोगों को बताया गया। इसके बाद वह अम्बाल गई। उसने अपने पिता को भी घटना के बारे में बताया। वह उस लड़के के घर गई जिसकी बारात अम्बल के मकड़ी में आई थी और उसे घटना के बारे में बताया। फिर उन्होंने बाजे बजाने वाले लड़कों को खड़ा कर दिया। फिर उसने उन तीन लड़कों को पहचान लिया जिन्होंने



उसके साथ बलात्कार किया था। जिस समय वे उसके साथ बलात्कार कर रहे थे, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी, जिससे उसने उनके चेहरे देख लिए और उन लड़कों को पहचान लिया। उसने मुख्य परीक्षा में आगे कहा है कि वह रात में आंबल से अपने गाँव लौट आई थी। अगले दिन भोर में, वह अपने माता-पिता और गाँव के सरपंच, पटवारी के साथ कोंडागाँव पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 है, जिसके भाग ए से ए तक पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं। पुलिस ने निजी परीक्षा करने के लिए उसकी सहमति ली, जो प्रदर्श पी-02 है, जिसके भाग ए से ए तक पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं। एक महिला डॉक्टर ने अस्पताल में उसकी निजी परीक्षा की थी। पुलिस ने उसे घटना के समय पहने हुए अंडरवियर और उच्च प्राथमिक विद्यालय मकड़ी (प्रमाणपत्र-3) की उसकी अंकतालिका दी, जिसे पुलिस ने उससे जब्त कर लिया और एक जब्ती ज्ञापन (प्रमाणपत्र-4) तैयार किया, जिसके भाग 'क' से 'क' तक पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके शरीर पर कोई स्पष्ट चोट नहीं थी।

23. पीड़िता (प्रमाणपत्र-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे बताया है कि घटना वाले दिन घर आने के बाद उसकी मुलाकात उसकी सहेली गायत्री से हुई, जिसने उसे बताया कि उसके कपड़े भी उतार दिए गए थे। पुलिसवाले अन्वेषण के लिए गाँव आए थे और उसने पुलिस को अपराध स्थल दिखाया था। पुलिस ने अपराध स्थल का नक्शा (एक्स.पी-5) तैयार किया था। पुलिसकर्मी उसे अपना कथन दर्ज कराने हेतु मजिस्ट्रेट के पास ले गए थे। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। घटना के संबंध में साक्षी गायत्री नाग (पीडब्लू-04) ने भी ऐसा ही बयान दिया है, जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है।

24. अभियोजन पक्ष ने पीड़िता की माँ (पीडब्लू-1), पीड़िता के पिता (पीडब्लू-3), सुरूराम नाग (पीडब्लू-5), चितुराम मौर्य (पीडब्लू-6) से पूछताछ की है। इन समस्त साक्षियों ने पीड़िता के बयानों का समर्थन किया है और उनकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य सामने नहीं आया है जिससे इन गवाहों के बयानों में अविश्वास पैदा हो और अभियोजन पक्ष की कहानी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

25. डॉ. ममता ठाकुर (पीडब्लू-08), चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि उन्होंने वर्ष 2005 में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, रीवा से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। वे जून 2014 से जिला चिकित्सालय, कोंडागांव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। दिनांक 24/04/2019 को शाम 4:00 बजे, पीड़िता, उम्र 12 वर्ष, निवासी माकड़ी, थाना कोंडागांव को महिला आरक्षक क्रमांक 722 बसंती नेताम द्वारा जननांग परीक्षण हेतु अपने समक्ष लाया गया। उसकी जांच करने पर, उन्हें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए-

(ए) उसके शरीर के बाहरी हिस्से पर कोई चोट के निशान नहीं थे, उसकी द्वितीयक लैंगिक विशेषताएँ पूरी तरह विकसित नहीं हुई थीं।



(ख) परीक्षण के दौरान, कमर में दर्द के कारण उसकी चाल असामान्य थी। उसके लेबिया माइनोरा में 11:00 दक्षिणावर्त दिशा में हल्का नीलापन था और उसकी हाइमन 6:00 दक्षिणावर्त दिशा में फटी हुई थी।

(ग) उसने अपने नाखूनों के टुकड़े और कतरनें एकत्र कीं। उसकी योनि से दो योनि-स्वैब, दो योनि-स्वैब, दो योनि-स्मीयर और एक योनि-वाशिंग नमूना एकत्र किया गया।

चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, उपरोक्त परीक्षणों के आधार पर, पीड़िता के साथ यौन संबंध के संकेत पाए गए, जिसकी अवधि 24 घंटे के भीतर थी, जिसकी पुष्टि के लिए नमूने को सील कर दिया गया और रासायनिक परीक्षण के लिए उसी कांस्टेबल को सौंप दिया गया। पीड़िता की उम्र निर्धारित करने के लिए उन्होंने इसे रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा। उनके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 है, जिसके भाग ए से बी तक उनके हस्ताक्षर हैं।

26. डॉ. ममता ठाकुर (पीडब्लू-08) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे कहा है कि 24/04/2019 को वही महिला कांस्टेबल एक सीलबंद पैकेट लेकर आई और यह पूछना चाहती थी कि जब्त अंडरवियर में मानव वीर्य है या नहीं। उसने उक्त पैकेट खोला और पुलिस से ले लिया। जाँच करने पर उसे एक भूरे रंग का अंडरवियर मिला, जिसके अंदर लाल रंग का एक धब्बा था जिस पर लाल स्याही लगी थी और पीछे की तरफ लाल स्याही से एक सफेद रंग का धब्बा था। उसने अंडरवियर को सील कर दिया और संबंधित कांस्टेबल को यह सलाह देकर सौंप दिया कि वह रासायनिक परीक्षण करवाकर देखे कि दोनों धब्बों में मानव वीर्य तो नहीं है। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 है, जिस पर अ से स तक उसके हस्ताक्षर हैं।

27. इस प्रकार, इस मेडिकल साक्षी के साक्ष्य से पुष्टि होती है कि पीड़िता के साथ उसकी जांच के 24 घंटे के भीतर यौन संबंध बनाए गए थे।

28. डॉ. ओमप्रकाश नाग (पीडब्लू-7) ने अपनी परीक्षा में कहा है कि उन्होंने वर्ष 2013 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने वर्ष 2018 में एसएमएस जयपुर (राजस्थान) से एमडी मेडिसिन स्पेशलिस्ट की डिग्री प्राप्त की है। वे फरवरी 2018 से जुलाई 2019 तक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। दिनांक 27/04/2019 को प्रातः 11.40 बजे आरक्षक क्रमांक 457 गिरजा प्रसाद कुर्रे थाना कोण्डागांव द्वारा मनोज बघेल पिता सुकारु बघेल उम्र लगभग 19 वर्ष निवासी देवदा को परीक्षण हेतु अपने समक्ष पेश किया गया। उन्होंने उक्त व्यक्ति की जाँच की और निम्नलिखित तथ्य पाए -

(क) उसके जननांगों पर बाल मौजूद थे, उसके लिंग के सिरे पर 0.5x 0.5 सेमी माप का एक गहरा फटा हुआ घाव का निशान था, उसके लिंग पर स्मेग्मा मौजूद नहीं था, पहले घाव के नीचे लिंग के निचले हिस्से पर 0.5x 0.5 सेमी माप का एक फटा हुआ घाव था।



(ख) उक्त दोनों चोटें ताज़ा थीं जो जाँच के बाद एक ही आकार की पाई गई। यह जाँच दो दिनों के भीतर की गई थी और घाव से खून बह रहा था।

(ग) अंडकोश का आकार सामान्य था और दोनों अंडकोष उसके अंडकोश पर मौजूद थे और अंडकोष में कोई असामान्यता नहीं थी। उन्होंने अभियुक्त के जननांगों, लिंग-मुंड और जघन-बालों के आसपास के लिंग की स्लाइड तैयार की और रासायनिक परीक्षण करने की सलाह दी तथा उसे सीलबंद करके संबंधित आरक्षक को सौंप दिया।

29. उनके अनुसार, मनोज बघेल संभोग करने में पूरी तरह सक्षम था। उनके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है, जिसके भाग ए से सी तक उनके हस्ताक्षर हैं।

30. डॉ. ओमप्रकाश नाग (अभि.सा.-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे बताया है कि उसी दिन वही कांस्टेबल एक वस्तु लेकर आया था और पूछताछ करना चाहता था कि जब्त किए गए अंडरवियर पर मानव वीर्य है या नहीं। उसने उक्त वस्तु को खोला और उसमें भूरे रंग का एक अंडरवियर पाया। अंडरवियर पर कोई दाग था या नहीं, यह सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अंडरवियर को सील कर दिया और संबंधित कांस्टेबल को यह सलाह देकर सौंप दिया कि वह रासायनिक परीक्षण कराकर देखे कि उस पर मानव शुक्राणु का दाग है या नहीं। उनके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है, जिसके भाग क से ग तक उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कहा है कि दिनांक 27/04/2019 को पुलिस स्टेशन कोंडागांव के कांस्टेबल क्रमांक 457 गिरजा प्रसाद कुर्रे ने पिकू कश्यप पुत्र मनबोध, उम्र-23 वर्ष, निवासी बालेंगा को परीक्षण के लिए उनके समक्ष लाया और उससे पूछताछ करने पर निम्नलिखित तथ्य पाए गए-

(क) उनके जननांगों पर बाल थे, उनका लिंग पूरी तरह से विकसित था तथा कोई विकृति, अंडकोष नहीं था। लिंग विकसित हो गया था तथा कोई विकृति नहीं थी।

(ख) लिंग पर खून का धब्बा था। कमर पर गुलाबी रंग का घाव था, जिसका आकार 2x1 सेमी था।

(ग) दाहिने स्कैपुला क्षेत्र पर एक लाल चमकदार धब्बा था, जिसका आकार 3x2 सेमी था। उपरोक्त दोनों चोटें तत्काल थीं और उनकी अवधि एक से दो दिनों के भीतर थी और घाव दो से तीन सप्ताह में ठीक हो सकते थे। उन्होंने लिंग, लिंग के आगे और अंदर के हिस्से और घायल क्षेत्र की स्लाइड तैयार की और रासायनिक परीक्षण करने की सलाह दी और उन्हें सील करके संबंधित कांस्टेबल को सौंप दिया।

31. उनके अनुसार, पिकू कश्यप संभोग करने में पूरी तरह सक्षम था। उनके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है, जिसके भाग ए से ए तक उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं।

32. डॉ. ओमप्रकाश नाग (पीडब्लू-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे कहा कि उसी तिथि को वही कांस्टेबल एक संपत्ति लेकर आया और यह पूछताछ की कि जब्त किए गए अंडरवियर पर मानव वीर्य था या नहीं। उन्होंने उक्त संपत्ति को खोला और एक भूरे रंग का अंडर वियर पाया, उक्त अंडर वियर के अंदरूनी हिस्से पर एक दाग



मौजूद था। उन्होंने संपत्ति को सील कर दिया और संबंधित कांस्टेबल को सौंप दिया, उन्हें रासायनिक परीक्षण करने की सलाह दी ताकि पता लगाया जा सके कि अंडर वियर पर लगे दाग में मानव वीर्य है या नहीं। उनके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है, जिसके भाग ए से सी तक उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं।

33. डॉ. ओमप्रकाश नाग (अ.सा.-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे बताया कि दिनांक 27/04/2019 को प्रातः 11.48 बजे आरक्षक क्रमांक 457 गिरजा शंकर कुर्रे, पंकू कश्यप, पुत्र हरि राम, उम्र 16 वर्ष, निवासी बड़े अलनार भानपुरी को उपचार हेतु अपने पास लाए। उन्होंने एक व्यक्ति के लिंग की जांच की और निम्नलिखित तथ्य पाए-

(क) उसके जननांगों पर बाल मौजूद थे और उसके द्वितीयक जननांग पूर्ण विकसित थे। लिंग पर स्मेग्मा मौजूद था और उसके जननांगों में कोई विकृति नहीं थी और जननांगों पर कोई सूजन नहीं थी। उन्होंने जननांगों के बाल, जननांग द्रव और लिंग-शीर्ष द्रव की स्लाइडें तैयार कीं और रासायनिक परीक्षण करने की सलाह दी तथा उन्हें सीलबंद करके संबंधित कांस्टेबल को सौंप दिया।

34. उनके अनुसार, पंकू कश्यप संभोग करने में पूरी तरह सक्षम था। उनके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है, जिसके भाग ए से सी तक उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं।

35. डॉ. ओमप्रकाश नाग (पीडब्लू-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में आगे बताया कि उसी तिथि को वही कांस्टेबल एक संपत्ति लेकर आया और यह पूछताछ की कि जब्त किए गए अंडर वियर पर मानव वीर्य है या नहीं। उन्होंने उक्त संपत्ति को खोला और एक भूरे रंग का अंडर वियर पाया, उक्त अंडर वियर के अंदरूनी हिस्से पर एक दाग मौजूद था। उन्होंने संपत्ति को सील कर दिया और संबंधित कांस्टेबल को सौंप दिया, और उसे रासायनिक परीक्षण कराने की सलाह दी ताकि पता लगाया जा सके कि अंडर वियर पर लगे दाग में मानव वीर्य है या नहीं। उनके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 है, जिसके भाग ए से सी तक उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं।

36. इस प्रकार, इस चिकित्सकीय साक्षी के साक्ष्य से परिलक्षित होता है कि अभियुक्तगण मनोज बघेल एवं पंकू कश्यप के परीक्षण पर उनके गुप्तांगों (लिंग) पर चोट के निशान पाये गये थे तथा उन्होंने बताया है कि पायी गयी चोट 24 घण्टे की थी, जिसके सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियुक्तगण द्वारा खंडन में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही उनमें से किसी का परीक्षण किया जा सका और न ही धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किये गये परीक्षण में उनके गुप्तांगों पर लगी चोट के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया। यद्यपि चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट में अभियुक्तगण पंकू कश्यप के गुप्तांगों पर किसी प्रकार की चोट का उल्लेख नहीं किया है, किन्तु इन तीनों अभियुक्तगणों को संभोग करने में सक्षम बताया गया है। ऐसी स्थिति में, घटना के तुरन्त बाद परीक्षण पर अभियुक्तगणों के गुप्तांगों में पायी गयी चोट उनके यौन अपराध में संलिप्त होने की ओर संकेत करती है।

37. मामले में, अभियोजन पक्ष ने क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, जगदलपुर से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-40 प्रस्तुत की है, जिसमें परीक्षण के लिए भेजे गए पैकेट, अर्थात् ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच,



आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, जो क्रमशः नाखून खुरचने, योनि स्वैब, योनि स्वैब, योनि स्मीयर, योनि धुलाई, पीड़िता की पैंटी और अंडरवियर, जघन बाल, विधि-विरुद्ध बालक पंकू कश्यप की स्लाइड और अभियुक्त पंकू कश्यप की अंडरवियर, स्लाइड और जघन बाल हैं, में यह अभिमत दिया गया है कि प्रदर्श सी1, डी1, ई1, जी और एच, जो क्रमशः योनि स्वैब, योनि स्वैब, योनि स्मीयर और पीड़िता की पैंटी और अभियुक्त पंकू कश्यप की अंडरवियर, स्लाइड और जघन बाल हैं, में यह कहा गया है कि अंडरवियर में वीर्य के धब्बे और मानव शुक्राणु पाए गए, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि संभोग किया गया था। पीड़िता के साथ घटित हुआ था।

38. लालमन मौर्य (अभि.सा.-10) ने अपने न्यायिक परीक्षण में कहा है कि वह पीड़िता को जानता है, वह उसके गाँव की है, घटना पिछले वर्ष की है, उसकी बड़ी बहन जना उर्फ रेखा की शादी उसके घर पर थी, जिसके लिए बारात ग्राम आमाबाल से आई थी। उसकी बहन के विवाह वाली रात, पीड़िताएँ (गायत्री के साथ छेड़छाड़ की गई और पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया) ग्राम आमाबाल में वाद्य यंत्र बजाने गई थीं। यह घटना लोगों के कारण हुई थी। उसने अपनी बहन जना (प्र.पी-18) की शादी का कार्ड पुलिस को दिया था जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और जब्ती ज्ञापन (प्र.पी-19) तैयार किया, जिसके एक हिस्से पर उसके हस्ताक्षर हैं।

39. निरीक्षक अर्चना धुरधर (पीडब्लू-11) ने बताया है कि 27/04/2019 को वह पुलिस थाना आजाक कोंडागांव में निरीक्षक के पद पर पदस्थ थी। पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव के आदेश क्रमांक पी.यू./कोण्डा/रीडर 1ओ-170 दिनांक 27/04/2019 के परिपालन में उन्होंने पीड़िता की मौखिक शिकायत पर आरोपी पंकू कश्यप, पंकू कश्यप एवं मनोज उर्फ कंवल बघेल एवं एक अन्य के विरुद्ध धारा 376 जी आईपीसी एवं धारा 4, 6 पोकसो एक्ट के तहत थाना कोण्डागांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पंजीकृत की थी, जो प्र.पी.-01 है, जिस पर ख से ख तक उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। उसी दिन उसने प्र.पी. 02 के अनुसार पीड़िता और उसके पिता से उसके गुप्तांगों की जांच के लिए सहमति प्राप्त कर ली थी और पीड़िता को जांच के लिए जिला अस्पताल कोंडागांव भेज दिया था। इस अन्वेषणकर्ता साक्षी ने आगे कहा है कि 27/04/2019 को 15.10 बजे, घटना के समय पीड़िता द्वारा पहनी गई भूरे रंग की पैंटी और उसकी कक्षा 6 वीं की मार्कशीट (एक्स.पी. 03) कोंडागांव के पुलिस स्टेशन परिसर में प्रस्तुत की गई थी और साक्षियों के सामने जब्ती पत्र (एक्स.पी. 04) तैयार किया गया था, जिसके सभी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को, उसने पीड़िता से जब्त भूरे रंग की पैंटी को चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, कोंडागांव को भेजा और यह पूछताछ करने की मांग की कि जब्त की गई पैंटी पर मानव वीर्य था या नहीं। 27/04/2019 को 18.00 बजे, महिला कांस्टेबल क्रमांक 722 बसंती नेताम ने पुलिस थाना परिसर, कोंडागांव में डॉक्टर द्वारा तैयार किए गए सात सीलबंद पैकेट पेश किया गया। उसने साक्षियों के सामने उन्हें जब्त कर लिया और जब्ती पत्र (एक्स.पी-21) तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर ए से ए पर हैं और कांस्टेबल बसंती नेताम के हस्ताक्षर बी से बी पर हैं। 27/04/2019 को अभियुक्त पंकू कश्यप को अभिरक्षा में लेने के बाद, अभियुक्त ने घटना के समय पहने



हुए अंडरवियर को पेश किया, जिसे उसने पुलिस स्टेशन परिसर, कोंडागांव में 19.45 बजे साक्षियों के सामने जब्त किया और जब्ती पत्र (एक्स.पी-22) तैयार किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर ए से ए पर हैं और अभियुक्त के हस्ताक्षर बी से बी पर हैं। 27/04/2019 को, आरोपी मनोज उर्फ कंवल बघेल को अभिरक्षा में लेने के बाद, अभियुक्त ने घटना के समय पहने हुए अंडरवियर को पेश किया, जिसे उसने पुलिस स्टेशन परिसर, कोंडागांव में 20.05 बजे साक्षियों के सामने जब्त किया और जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी-23) तैयार किया 27/04/2019 को, अभियुक्त पंकू कश्यप को अभिरक्षा में लेने के बाद, अभियुक्त ने घटना के समय पहने हुए अंडरवियर को पेश किया, जिसे उसने गवाहों के सामने 19.30 बजे पुलिस स्टेशन परिसर, कोंडागांव में जब्त कर लिया। सामग्री को जब्त करने के बाद, उसने जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी-24) तैयार किया, जिसके भाग ए से ए पर उसके हस्ताक्षर हैं और भाग बी से बी पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं।

40. इस अन्वेषण साक्षी ने आगे कहा है कि 27/04/2019 को, अभियुक्त पंकू कश्यप को अपनी अभिरक्षा में लिया और संभोग करने की क्षमता के संबंध में जिला अस्पताल कोंडागांव भेजा, जिसके संबंध में एक लिखित शिकायत तैयार की गई, जो परीक्षण रिपोर्ट एक्स.पी. 09 के भाग बी से बी पर उसके हस्ताक्षर हैं। 27/04/2019 को, अभियुक्त मनोज उर्फ कंवल बघेल को अभिरक्षा में लिया गया और यौन संबंध बनाने की उसकी क्षमता के संबंध में जिला अस्पताल कोंडागांव भेजा गया, जिसके संबंध में एक लिखित परिवाद तैयार किया गया, जो परीक्षण रिपोर्ट एक्स.पी-07 के भाग बी से बी पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 27/04/2019 को अभियुक्त पंकू कश्यप को अपनी अभिरक्षा में लेकर जिला चिकित्सालय कोण्डागांव भेजा गया, जिसमें उसके सहवास करने की क्षमता के संबंध में लिखित परिवाद तैयार किया गया, जो परीक्षण रिपोर्ट (एक्स.पी-11) के भाग बी से बी पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस मामले में, अभियुक्त पंकू कश्यप से जब्त अंडरवियर को जिला अस्पताल कोंडागांव भेजा गया था और यह पता लगाने के लिए पूछताछ की गई थी कि जब्त अंडरवियर में मानव वीर्य मौजूद था या नहीं। इस अन्वेषण साक्षी ने आगे कहा है कि इस मामले में अभियुक्त मनोज उर्फ कंवल से जब्त अंडरवियर को जिला अस्पताल कोंडागांव भेजा गया था और इस आशय का बयान दिया गया था। यह प्रश्न पूछा गया कि क्या जब्त अंडरवियर में मानव वीर्य मौजूद है? जिसके संबंध में एक लिखित परिवाद तैयार किया गया था। अभियुक्त पंकू कश्यप से जब्त अंडरवियर को जिला अस्पताल कोंडागांव भेजा गया और इस आशय का प्रश्न पूछा गया कि क्या जब्त अंडरवियर में मानव वीर्य मौजूद है? जिसके संबंध में एक लिखित परिवाद तैयार किया गया था। दिनांक 28/04/2019 को दोपहर 1.15 बजे आरक्षक क्रमांक 457 गिरजाशंकर कुर्रे द्वारा आरोपी पंकू कश्यप के गुप्तांग की जांच कर डॉ. साहब द्वारा तैयार किये गये चार सीलबंद पैकेट को साक्षियों के समक्ष जप्त किया गया तथा जप्ती पत्र (एक्स.पी-25) तैयार किया गया था। भाग 'अ' से 'ब' पर उसके हस्ताक्षर हैं और भाग 'ब' से 'ब' पर गिरजाशंकर कुर्रे के हस्ताक्षर हैं। 28/04/2019 को प्रातः 1.30 बजे आरक्षक क्रमांक 457 गिरजाशंकर कुर्रे ने अभियुक्त पंकू कश्यप के गुप्तांगों की जाँच के पश्चात्, चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किए गए चार सीलबंद पैकेटों को कोंडागांव पुलिस थाना परिसर में साक्षी के समक्ष जब्त किया और जब्ती ज्ञापन (प्रत्यारोपण-26) तैयार किया, जिस पर भाग 'अ' से 'अ' पर उसके हस्ताक्षर हैं और भाग 'ब' से 'ब' पर गिरजाशंकर कुर्रे के हस्ताक्षर हैं।



इस अन्वेषणकर्ता साक्षी ने आगे बताया कि 28/04/2019 को प्रातः 1.55 बजे आरक्षक क्रमांक 457 गिरजाशंकर कुर्रे ने अभियुक्त मनोज उर्फ कंवल बघेल के गुप्तांगों की जाँच के पश्चात्, चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किए गए चार सीलबंद पैकेटों को कोंडागांव पुलिस थाना परिसर में गवाहों के समक्ष जब्त किया और जब्ती ज्ञापन (प्रत्यारोपण-27) तैयार किया। अ से अ तक के भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं तथा ब से ब तक के भाग पर गिरजाशन कुर्रे के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 28/04/2019 को प्रातः 2.00 बजे अभियुक्त पंकू कश्यप को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 28 तैयार किया गया, अ से अ तक के भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई, सूचना की पावती प्र.पी. 29 है, अ से अ तक के भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 28/04/2019 की रात्रि 2.15 बजे अभियुक्त पंकू कश्यप को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 30 तैयार किया गया, जिसके क से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा ख से ख भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई, सूचना की पावती प्र.पी. 31 है, जिसके क से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

41. इस अन्वेषणकर्ता साक्षी ने आगे बताया कि दिनांक 28/04/2019 को प्रातः 2.30 बजे अभियुक्त मनोज उर्फ कंवल बघेल को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी पंचनामा (प्र.पी.-32) तैयार किया गया, जिसके क से अ भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवार को सूचना की पावती (प्र.पी.-33) के रूप में दी गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 02/05/2019 को प्रातः 8.45 बजे, वह ग्राम माकड़ी गई और पीड़िता के निर्देश पर घटनास्थल का स्थल मानचित्र (प्र.पी.-05) तैयार किया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 02/05/2019 को उन्होंने तहसीलदार कोंडागांव को हल्का पटवारी से घटनास्थल का स्थल मानचित्र उपलब्ध कराने के संबंध में शिकायत लिखी, जिसकी पावती प्र.पी.-34 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। 02/05/2019 को 13.00 बजे पीड़िता से कन्या आश्रम मोहलाई की अधीक्षिका श्रीमती सकुन बघेल ने जन्मतिथि के संबंध में पूछताछ की। जब बालिका आश्रम मोहलाई में दाखिल-खारिज रजिस्टर (प्रमाणपत्र-15) प्रस्तुत किया गया, तो उसे गवाहों के समक्ष जब्त कर लिया गया और भाग-ख से भाग-ख तक के लिए जब्ती ज्ञापन (प्रमाणपत्र-16) तैयार किया गया। उसने प्रमाणपत्र-15 की सत्यापित प्रति प्रमाणपत्र-15 ग के रूप में ली और मूल प्रति समर्पण ज्ञापन में वापस कर दी। प्रमाणपत्र भाग-ख से भाग-ख तक प्रमाणपत्र-17 है, जिस पर उसने हस्ताक्षर किए हैं। इस अन्वेषणकर्ता साक्षी ने आगे बताया कि दिनांक 06/06/2019 को प्रातः 11:30 बजे, जब लालमन मौर्य, ग्राम माकड़ी ने रेखा उर्फ जना और लोकनाथ (प्रत्यारोपी 18) का विवाह निमंत्रण पत्र प्रस्तुत किया, तो उसे गवाहों के समक्ष जब्त कर लिया गया और जब्ती ज्ञापन (प्रत्यारोपी 19) तैयार किया गया, जिसके भाग 'ख' से 'ख' तक पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 12/06/2019 को अपराह्न 14:00 बजे, कोंडागाँव पुलिस थाना परिसर में, जब भदुरुराम कश्यप ने अभियुक्त पंकुराम (प्रत्यारोपी-35) की जन्मतिथि संबंधी अपनी अंकतालिका-सह-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, तो उसे गवाहों के समक्ष जब्त कर लिया गया और भाग 'क' से 'क' तक पर जब्ती ज्ञापन (प्रत्यारोपी-36) तैयार किया गया तथा भाग 'ख' से 'ख' तक पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस मामले में, जब्त की गई संपत्तियों



को पुलिस अधीक्षक, कोंडागाँव के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जगदलपुर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक का ज्ञापन (प्र.पी-37) है, प्रयोगशाला की प्रदर्श रसीद प्र.पी-38 है, प्रयोगशाला की प्रदर्श वापसी रसीद प्र.पी-39 है तथा प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी-40 है। अन्वेषण के दौरान उन्होंने पीड़िता, साक्षियों श्रीमती कुंती बाई, घस्सूराम मौर्य, मंगतूराम मौर्य, लखमूराम मौर्य, सूरुराम नाग, चितूराम मौर्य, मंगलराम नाग, सुश्री गायत्री नाग, श्रीमती गोमती बघेल, श्रीमती रेखा बघेल उर्फ रेखा मौर्य और नरेंद्र बघेल के कथन उनके द्वारा बताए अनुसार दर्ज किए। अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

42. भारतीय समाज में, पुष्टि के अभाव में यौन उत्पीड़न की पीड़िता के कथन पर कार्यवाही करने से इनकार करना, आमतौर पर चोट पर नमक छिड़कने के समान है। भारत के परंपरा-बद्ध, असंवैधानिक समाज में कोई लड़की या महिला यह स्वीकार करने में भी बेहद हिचकिचाएगी कि उसके साथ ऐसी कोई घटना घटी थी जो उसकी पवित्रता पर आघात पहुंचा सकती है। वह समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के खतरे से अवगत होगी और जब इन कारकों के तहत अपराध प्रकाश में आता है, तो अंतर्निहित आश्वासन होता है कि आरोप मनगढ़ंत नहीं, बल्कि वास्तविक है। जिस प्रकार एक गवाह जिसे ऐसी चोट लगी हो, जो न तो दिखाई गई हो और न ही यह माना गया हो कि उसने खुद को चोट पहुँचाई है, वह इस अर्थ में सबसे अच्छा गवाह होता है कि उसके द्वारा असली अपराधी को दोषमुक्त करने की संभावना सबसे कम होती है, उसी प्रकार यौन अपराध की पीड़िता के साक्ष्य को भी, पुष्टिकरण के अभाव के बावजूद, बहुत अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बलात्कार की शिकार महिला या लड़की सह-अपराधी नहीं है। बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकरण अनिवार्य नहीं है। **रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य (एआईआर 1952 एससी 54)** में न्यायाधीश विवियन बोस की टिप्पणियाँ थीं:—

"नियम, जो इन मामलों के अनुसार अब कानून का एक रूप बन गया है, यह नहीं है कि दोषसिद्धि से पहले पुष्टिकरण आवश्यक है, बल्कि यह है कि विवेक के आधार पर पुष्टिकरण की आवश्यकता, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ परिस्थितियाँ इसे सुरक्षित बनाती हैं, न्यायाधीश के मन में मौजूद होनी चाहिए....."।

43. सामान्य रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराध और विशेष रूप से बलात्कार बढ़ रहे हैं। यह एक विडंबना है कि जहाँ हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों का जश्न मना रहे हैं, वहीं हम उनके सम्मान के प्रति बहुत कम या बिल्कुल भी चिंता नहीं दिखाते हैं। यह यौन अपराधों के पीड़ितों की मानवीय गरिमा के उल्लंघन के प्रति समाज के उदासीनता के रवैये का एक दुखद प्रतिबिंब है। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक बलात्कारी न केवल पीड़िता की निजता और व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है, बल्कि इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्षति भी पहुँचाता है। बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है -



यह अक्सर पीड़िता के संपूर्ण व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है। एक हत्यारा अपनी पीड़िता के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, एक बलात्कारी असहाय स्त्री की आत्मा को ही अपमानित करता है। इसलिए, बलात्कार के आरोप में अभियुक्त पर वाद चलाते समय न्यायालय एक बड़ी ज़िम्मेदारी निभाता है। उन्हें ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निराकरण करना चाहिए। न्यायालयों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जाँच करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, और अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज नहीं करना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य विश्वास पैदा करते हैं, तो उसके बयान के भौतिक विवरणों की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश न्यायालय को उसके कथन पर पूर्णतः भरोसा करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को पुष्ट कर सके, हालाँकि सह-अपराधी के मामले में इसकी पुष्टि आवश्यक नहीं है। अभियोक्ता के कथन को पूरे मामले की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए और विचारण न्यायालय को यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति सजग और संवेदनशील होना चाहिए। यह स्थिति पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996 (2) एससीसी 384) में उजागर की गई थी।

44. यौन अपराध की अभियोक्ता को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि भौतिक विवरणों से न हो जाए। वह निस्संदेह धारा 118 के तहत एक सक्षम साक्षी है और उसके साक्ष्य को वही महत्व दिया जाना चाहिए जो शारीरिक हिंसा के मामलों में घायल व्यक्ति को दिया जाता है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी कि किसी घायल शिकायतकर्ता या गवाह के मामले में बरती जाती है, उससे अधिक नहीं। आवश्यक यह है कि न्यायालय को इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखता है और संतुष्ट महसूस करता है कि वह अभियोक्ता के साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान कोई विधि या प्रथा शामिल नहीं है जो उसे पुष्टिकरण की तलाश करने की आवश्यकता रखती हो। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोक्ता की गवाही पर पूर्ण विश्वास करने में हिचकिचाता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को पुष्ट कर सके, हालाँकि यह पुष्टि किसी सह-अपराधी के मामले में आवश्यक नहीं है। अभियोक्ता के कथन को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन यदि अभियोक्ता वयस्क है और पूरी तरह समझदार है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बना सकता है, जब तक कि वह साक्ष्य स्वयं कमजोर और विश्वसनीय न हो। यदि मामले के अभिलेख में प्रस्तुत परिस्थितियों की समग्रता से यह पता चलता है कि अभियोक्ता के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई ठोस उद्देश्य नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।



45. राय संदीप @ दीनू बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, 2012 (8) एससीसी 21 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय अभिनिर्धारित किया :---

"हमारी सुविचारित राय में, 'उत्कृष्ट साक्षी' अत्यंत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, इसलिए उसका बयान अकाट्य होना चाहिए। ऐसे साक्षी के बयान पर विचार करने वाले न्यायालय को बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने की स्थिति में होना चाहिए। ऐसे साक्षी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, साक्षी की स्थिति महत्वहीन होगी और जो सुसंगत होगा वह ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए बयान की सत्यता है। जो अधिक सुसंगत बात यह होगी कि बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक, अर्थात् उस समय जब साक्षी प्रारंभिक बयान देता है और अंततः न्यायालय के समक्ष, एकरूपता बनी रहे। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के रूप में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे साक्षी के कथन में किसी भी तरह की मिथ्याकल्पना नहीं होनी चाहिए। साक्षी को किसी भी लंबी और कठिन प्रतिपरीक्षा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और उसके क्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसे बयान का अन्य सभी सहायक सामग्रियों, जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय, के साथ सह-संबंध होना चाहिए। उक्त बयान को हर दूसरे गवाह के बयान से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए जाने वाले परीक्षण के समान होना चाहिए, जहाँ परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई भी ऐसी कड़ी नहीं होनी चाहिए जो अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध का दोषी ठहरा सके। केवल तभी जब ऐसे साक्षी का बयान उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ लागू किए जाने वाले अन्य सभी समान परीक्षणों को उत्तीर्ण करता है, यह माना जा सकता है कि ऐसे साक्षी को 'उत्कृष्ट साक्षी' कहा जा सकता है, जिसका बयान न्यायालय द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक रूप से, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त साक्षी का बयान बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी सहायक सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुएं, भौतिक विवरणों में उक्त बयान से मेल खानी चाहिए ताकि अपराध का परीक्षण करने वाला न्यायालय, कथित आरोप के अपराधी को दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्रियों को छानटने हेतु मूल बयान पर भरोसा कर सके।"

46. नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य (आपराधिक अपील संख्या 144/2022) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 8.2.2022 को अभिनिर्धारित किया:---

10. उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के अपराधों से बचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 39 के तहत जो प्रावधान किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए, पोक्सो अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया गया है। बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बच्चों पर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निराकरण किया जाना चाहिए और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति



के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के कृत्य के अनुरूप उचित दंड देकर, बड़े पैमाने पर समाज को यह संदेश दिया जाना चाहिए कि, यदि कोई भी पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने का कोई अपराध करता है, तो उन्हें उचित रूप से दंडित किया जाएगा और उनके प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। बच्चों पर यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के मामले यौन संबंध के लिए विकृत वासना के उदाहरण हैं जहां इस तरह के नीच यौन सुख की तलाश में मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता है। बच्चे हमारे देश के अनमोल मानव संसाधन हैं; वे देश का भविष्य हैं। कल की उम्मीद उन पर टिकी है। लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे देश में बालिकाएँ बहुत ही असुरक्षित स्थिति में हैं। उनके शोषण के विभिन्न तरीके हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न और/या यौन दुर्व्यवहार शामिल हैं। हमारे विचार में, इस प्रकार बच्चों का शोषण मानवता और समाज के विरुद्ध अपराध है। अतः, बच्चे और विशेषकर बालिकाएँ पूर्ण सुरक्षा की हकदार हैं और उन्हें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, (2002) 5 एससीसी 745 के मामले में देखा और यह अभिनिर्धारित किया है कि बच्चों को विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है और ऐसे मामलों में, न्यायालयों के कंधों पर इन बच्चों को उचित कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की ज़िम्मेदारी अधिक कठिन होती है। निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (2019) 2 एससीसी 703 के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यौन शोषण का शिकार होने वाले नाबालिग को वयस्क पीड़िता से भी अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि वयस्क पीड़िता वयस्क होने के बावजूद समाज द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक बहिष्कार और मानसिक उत्पीड़न को सहन कर सकती है, लेकिन नाबालिग पीड़िता के लिए ऐसा करना कठिन होगा। नाबालिग पीड़ितों के खिलाफ होने वाले अधिकांश अपराधों की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है क्योंकि अक्सर अपराधी पीड़ित के परिवार का सदस्य या उसका कोई करीबी मित्र होता है। अतः, बच्चे को अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए, पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत अपराध करने वाले किसी भी अभियुक्त के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती, विशेषकर तब जब न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्यों से यह साबित हो चुका हो।” 47. यौन अपराध की शिकार पीड़िता के साक्ष्य पर विचार करते समय, न्यायालय को घटना का लगभग सटीक विवरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, पीड़िता को घटनाओं के बारे में अपनी स्मृति के आधार पर, जहाँ तक संभव हो, अपना विवरण देने की अनुमति देने पर जोर दिया जाता है। यदि न्यायालय ऐसे साक्ष्य को विश्वसनीय और संदेह से मुक्त मानता है, तो उस कथन की पुष्टि पर शायद ही कोई जोर दिया जाए। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम श्री कांत शेखर (2004) 8 एससीसी 153 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया: “21. यह सर्वविदित है कि बलात्कार के अपराध की पीड़िता होने की शिकायत करने वाली अभियोक्ता, अपराध के बाद सह-अपराधी नहीं है। ऐसा कोई विधिक नियम नहीं है कि उसके कथन को भौतिक विवरणों की पुष्टि के बिना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। वह एक घायल साक्षी से ऊँचे स्थान पर है। उत्तरार्द्ध मामले में, शारीरिक रूप से चोट पहुँचती है, जबकि पूर्वार्द्ध मामले में यह शारीरिक के साथ-साथ



मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होती है। हालाँकि, यदि तथ्यों के आधार पर न्यायालय को अभियोक्ता के कथन को उसके मूल रूप में स्वीकार करना कठिन लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकता है, जो उसके कथन को विश्वसनीय बनाए। सहयोगी के संदर्भ में, पुष्टिकरण के बिना, आश्वासन ही पर्याप्त होगा।”

48. इसी आधार पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिवशरणप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, (2013) 5 एससीसी 705 में निम्नलिखित टिप्पणी की:

“17. इस प्रकार, विधि में यह सर्वविदित है कि न्यायालय बाल साक्षी के कथन पर भरोसा कर सकता है और यदि वह विश्वसनीय, सत्य है और अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से पुष्ट होती है, तो वह दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विवेक के नियम के रूप में, न्यायालय अभिलेख पर रखे गए अन्य विश्वसनीय साक्ष्यों से पुष्टि देखना वांछनीय समझता है। साक्षी के एकल कथन पर भरोसा करने के लिए लागू होने वाले सिद्धांत, अर्थात्, यह कथन सत्य और सही है और गुणवत्तापूर्ण है तथा केवल पुष्टि के अभाव के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, उस बाल साक्षी पर लागू होते हैं जो सक्षम है और जिसका कथन विश्वसनीय है।”

49. सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सोनू कुशवाहा, (2023) 7 एससीसी 475 के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:—

“12. पोक्सो अधिनियम विभिन्न प्रकार के बाल दुर्व्यवहार के अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया था और इसीलिए बच्चों पर विभिन्न प्रकार के यौन हमलों के लिए पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 6, 8 और 10 में न्यूनतम दंड निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, धारा 6, अपनी स्पष्ट भाषा में, न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं देती है और विचारण न्यायालय की तरह न्यूनतम सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब किसी दंडात्मक प्रावधान में “से कम नहीं होगी...” वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है, तो न्यायालय धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते और कम सजा नहीं दे सकते हैं। न्यायालय ऐसा करने में असमर्थ हैं जब तक कि कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान न हो जो न्यायालय को कम सजा देने में सक्षम बनाता हो। हालाँकि, हमें पोक्सो अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित सजा भुगतने के बाद उत्तरवादी ने जीवन में आगे कदम बढ़ाया होगा, उसके प्रति कोई नरमी बरतने का सवाल ही नहीं उठता है। इस तथ्य के अलावा कि कानून न्यूनतम सजा का प्रावधान करता है, प्रतिवादी द्वारा किया गया अपराध बहुत ही जघन्य है जिसके लिए बहुत कड़ी सजा की आवश्यकता है। पीड़ित/बच्चे के मन पर इस घृणित कृत्य का प्रभाव जीवन भर रहेगा। इसका प्रभाव पीड़ित के स्वस्थ विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि घटना के समय पीड़ित की आयु बारह वर्ष से कम थी।



इसलिए, हमारे पास उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने और विचारण न्यायालय के निर्णय को पुनर्स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

50. अभियोजन पक्ष की ओर से विचारण न्यायालय (पीडब्लू-2) के समक्ष दिए गए बयान के अनुसार, घटना दिनांक 26/04/2019 को ग्राम मकड़ी में घटित हुई। घटना दिनांक को उसकी मौसी के घर विवाह हो रही थी, रात्रि लगभग 9-10 बजे वह और उसकी सहेली गायत्री शादी वाले घर से थोड़ी दूरी पर खेत में शौच के लिए गई थीं। वे शौच के लिए खड़ी थीं, तभी 11-12 लड़के आए और उन्हें घेर लिया, उनमें से चार ने उसे पकड़ लिया, उसे बाद में आरोपियों के नाम पंकू, पिकू, मनोज पता चले और दो लड़कों ने उसकी सहेली को पकड़ लिया और उसे उठाकर अलग-अलग दिशा में ले जाकर जमीन पर लिटा दिया और उसके कपड़े उतार दिए, उसके बाद उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर पर बैठ गया तथा एक लड़के ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए। इसके बाद एक लड़का उसके पास आया और उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद दो और लड़कों ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद वे वहाँ से भाग गए। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में आगे बताया है कि इसके बाद वह अपने घर गई और अपनी माँ को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उसकी माँ ने ग्राम प्रधान लखमू और अन्य लोगों को बताया। इसके बाद वह अम्बाल गई। उसने अपने पिता को भी घटना के बारे में बताया। वह उस लड़के के घर गई जिसकी बारात अम्बाल के मकड़ी में आई थी और उसे घटना के बारे में बताया। फिर उन्होंने बाजे बजाने वाले लड़कों को खड़ा कर दिया। तब उसने उन तीन लड़कों को पहचान लिया जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया था। जिस समय वे उसके साथ बलात्कार कर रहे थे, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी, जिससे उसने उनके चेहरे देख लिए और इसलिए उन लड़कों को पहचान लिया। उसने मुख्य परीक्षा में आगे कहा है कि वह रात में अम्बाल से अपने गाँव लौट आई थी। अगले दिन भोर में, वह अपने माता-पिता और गाँव के सरपंच, पटवारी के साथ कोंडागाँव पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 है, जिसके भाग ए से ए तक पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं। पुलिस ने निजी परीक्षा आयोजित करने के लिए उसकी सहमति ली, जो प्रदर्श पी-02 है, जिसके भाग ए से ए तक पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं। एक महिला डॉक्टर ने अस्पताल में उसकी निजी परीक्षा की थी। पुलिस ने उसे घटना के समय पहने हुए अंडरवियर और उच्च प्राथमिक विद्यालय मकड़ी की उसकी मार्कशीट (एक्स.पी-3) दी, जिसे पुलिस ने उसके पास से जब्त कर लिया और एक जब्ती ज्ञापन (एक्स.पी-4) तैयार किया, जिसके भाग ए से ए तक पर उसके हस्ताक्षर मौजूद हैं। उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता (पीडब्लू-2) ने अपनी मुख्य परीक्षा में आगे बताया है कि घटना वाले दिन घर आने के बाद, उसकी मुलाकात उसकी सहेली गायत्री से हुई, जिसने उसे बताया कि उसके कपड़े भी उतार दिए गए थे। पुलिसकर्मी अन्वेषण हेतु गाँव आए थे और उसने पुलिस को घटनास्थल दिखाया था। पुलिस ने अपराध स्थल (एक्स पी/ -5) का स्थल मानचित्र तैयार किया था। पुलिसकर्मी उसे बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले गए थे। मजिस्ट्रेट ने उससे पूछताछ की और उसका बयान दर्ज किया। इसी तरह का कथन साक्षी गायत्री नाग (पीडब्लू-04) ने भी घटना के संबंध में दिया है, जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है।



51. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि यौन अपराधों में अभियोजन पक्ष की एकमात्र कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई विधिक बाधा नहीं है, यदि उसका बयान विश्वास पैदा करता है। वर्तमान प्रकरण में अभियोक्ता/पीड़िता (पीडब्लू-02) ने अपने न्यायिक परीक्षण में स्पष्ट रूप से कहा है कि दिनांक 26/04/2019 की घटना के दिन विधि से संघर्षरत बालक के साथ अभियुक्तगणों ने उसकी इच्छा एवं सहमति के बिना बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। यौन अपराध से पीड़ित महिला के लिए घटना की मूल प्रकृति को भूलना कठिन होता है, तथा वर्तमान प्रकरण में पीड़िता ने अपने साथ घटित घटना को अपने अकाट्य साक्ष्य के माध्यम से संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा उसने अपने साथ घटित घटना के बारे में अपने माता-पिता एवं अन्य लोगों को बताया था, जिसकी पुष्टि अभियोजन पक्ष के अन्य साक्षी गात्रयी नाग (पीडब्लू-04) (चक्षुदर्शी साक्षी), सुरूराम नागे (पीडब्लू-05), चितुराम मौर्य (पीडब्लू-06) द्वारा भी की गई है।

52. अभियोजन पक्ष ने अपने मुख्य परीक्षण के पैरा 03 में कहा है कि घटना के समय, अभियुक्तों ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जला रखी थी, जिससे उसने उनके चेहरे देखे और अपीलकर्ता पंकू कश्यप, मनोज उर्फ कंवल बघेल और पिकू कश्यप की पहचान की।

53. मलखानसिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में (2003) 5 एससीसी 746 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-----

7. यह कहना सामान्य बात है कि मूल साक्ष्य न्यायालय में पहचान का साक्ष्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, इस न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा विधि की स्थिति सुस्पष्ट है। अभियुक्तों की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सुसंगत हैं। सामान्य नियम के अनुसार, किसी साक्षी का मूल साक्ष्य न्यायालय में दिया गया कथन होता है। पहली बार परीक्षण में अभियुक्त की मात्र पहचान का साक्ष्य अपने स्वभाव से ही दुर्बल होता है। तदनुसार, यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि सामान्यतः अदालत में गवाहों की शपथ-आधारित कथन से अभियुक्तों की पहचान के बारे में पुष्टि की अपेक्षा की जाए, जो उनके लिए अजनबी हैं, और इसके लिए पहले की पहचान कार्यवाही का सहारा लिया जाए। हालाँकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, उदाहरण के लिए, जब न्यायालय किसी विशेष साक्षी से प्रभावित होती है जिसकी गवाही पर वह बिना किसी पुष्टिकरण के, सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है। पहचान परेड जाँच के चरण से संबंधित है, और दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो जाँच एजेंसी को पहचान परेड आयोजित करने के लिए बाध्य करता हो, या अभियुक्त को इसका दावा करने का अधिकार प्रदान करता है। वे ठोस साक्ष्य नहीं होते हैं और ये परेड अनिवार्यतः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा शासित होती हैं। परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में विफलता न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी। ऐसी पहचान को कितना महत्व दिया जाए, यह तथ्य न्यायालयों का मामला होना चाहिए। उपयुक्त मामलों में यह पुष्टिकरण पर ज़ोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। (जोर दिया गया)।”



54. साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के यह साबित करने में सक्षम रहा है कि घटना की तिथि पर अभियोक्ता की आयु 18 वर्ष से कम थी और वह "बालक" की श्रेणी में आती थी तथा अभियुक्त और विधि से संघर्षरत बालक ने घटना की उक्त तिथि, समय और स्थान पर नाबालिग पीड़िता, जो 16 वर्ष से कम आयु की थी, के साथ उसकी इच्छा और सहमति के बिना बारी-बारी से सामूहिक बलात्कार करके घोर प्रवेशन यौन हमला किया।

55. धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार: जहां किसी महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह बनाकर या समान आशय से बलात्कार किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने बलात्कार का अपराध किया माना जाएगा।

56. उपर्युक्त के अनुसार, धारा 376 डी में परिभाषित सामूहिक बलात्कार और मामले के तथ्य और परिस्थितियां इस तथ्य को पूरी तरह से संतुष्ट करती हैं कि प्रत्येक अभियुक्त ने इस अपराध के कारित होने में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है।

57. अभियोजन पक्ष (पीडब्लू-2) के साक्ष्य, जिसने प्रत्येक अपीलकर्ता की भूमिका को स्पष्ट रूप से बताया है, गवाहों पीड़िता की मां (पीडब्लू-1), पीड़िता के पिता (पीडब्लू-3), गायत्री नाग (पीडब्लू-04) (चक्षुदर्शी साक्षी), सूरुराम नागे (पीडब्लू-05), चितुराम मौर्य (पीडब्लू-06), डॉ. ओमप्रकाश नाग (पीडब्लू-7), डॉ. ममता ठाकुर (पीडब्लू-8), शकुन बघेल, प्रिंसिपल (पीडब्लू-9) के साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट (एक्स.पी-37) पर विचार करते हुए, जिसमें कहा गया है कि अंडरवियर में वीर्य के धब्बे और मानव शुक्राणु पाए गए थे, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि पीड़िता के साथ संभोग हुआ था और पहचान प्रक्रिया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता पंकू कश्यप, मनोज उर्फ कंवल बघेल और पिकू कश्यप की पहचान की है, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और उपरोक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि हम इस राय के हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलकर्ताओं पंकू कश्यप, मनोज उर्फ कंवल बघेल और पिकू कश्यप को दोषी ठहराना सही है। सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हमें कोई अवैधता या अनियमितता नहीं दिखती है।

58. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को दिया गया दंड और दोषसिद्धि को यथावत रखा जाता है। वर्तमान आपराधिक अपील में कोई सार नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

59. न्यायालय में कहा गया है कि अपीलार्थी कारागार में हैं। उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार दंड भुगतना होगा।

60. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय की एक प्रति उस जेल के संबंधित अधीक्षक को भेजी जाए जहां अपीलकर्ता जेल की सजा भुगत रहे हैं, ताकि अपीलकर्ताओं को इसकी प्रति दी जा सके और उन्हें



सूचित किया जा सके कि वे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की सहायता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करके इस न्यायालय द्वारा पारित वर्तमान निर्णय को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं।

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश



हेड नोट :--

बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बच्चों पर यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के ऐसे सभी अपराधों से सख्ती से निराकरण किया जाना चाहिए और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए।



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

